



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28092020-222077
CG-DL-E-28092020-222077

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2020/ आश्विन 6, 1942

No. 269]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2020/ASVINA 6, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2020

सं. 19/2015-2020

विषय : अधिसूचना सं. 33/2015-20 के द्वारा एसआईएमएस पंजीकरण के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त एचएस कोडों हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) पंजीकरण के कार्यान्वयन की तिथि के संबंध में।

फा. सं. 01/89/180/एमओएनआई-5852/एम-03/पीसी-2(क)/भाग-I/ई-18229.— विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा अधिसूचना सं. 17/2015-2020 दिनांक 05.09.2019 के अंतर्गत शामिल किए गए एचएस कोडों को छोड़कर आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 72, 73 और 86 के अंतर्गत एचएस कोडों के आयात हेतु एसआईएमएस पंजीकरण के कार्यान्वयन की तिथि विनिर्दिष्ट करते हैं।

2) अधिसूचना सं. 33/2015-20 दिनांक 28.09.2020 के तहत यथा अधिसूचित आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 72, 73 और 86 के एचएस कोड (अधिसूचना सं. 17/2015-2020 दिनांक 05.09.2019 के तहत एसआईएमएस पंजीकरण के अंतर्गत पहले शामिल किए गए कोडों को छोड़कर) के तहत आयात हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के अंतर्गत पंजीकरण करने के कार्यान्वयन की तिथि 16 अक्टूबर, 2020 होगी अर्थात् 16.10.2020 को अथवा इसके पश्चात् प्रविष्टि बिल हेतु एसआईएमएस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा।

3) इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) में आयातकों को ऑनलाईन प्रणाली में अग्रिम सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा और सीआईएफ मूल्य के न्यूनतम 500 रु० और अधिकतम 1 लाख रुपये के अध्यक्षीन एक रुपया प्रति हजार पंजीकरण शुल्क पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके एक स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। आयातक आयात खेप के आने की अनुमानित तिथि से कम से कम 60 दिन पूर्व और अधिकतम 15 दिन के अंदर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए मान्य होगी। आयातक को प्रविष्टि बिल में पंजीकरण संख्या और पंजीकरण के समाप्त होने की तिथि लिखनी होगी ताकि शुल्क विभाग खेप की निकासी करने में समर्थ हो सके।

4) इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: अधिसूचना सं. 33/2015-20 दिनांक 28.09.2020 के तहत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के अंतर्गत शामिल अतिरिक्त एचएस कोडों के पंजीकरण के कार्यान्वयन की तिथि 16 अक्टूबर, 2020 होगी अर्थात् दिनांक 16.10.2020 को अथवा उसके पश्चात् प्रविष्टि बिल के लिए एसआईएमएस के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना अपेक्षित होगा।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 28th September, 2020

No. 19/2015-2020

Subject : Date of implementation of Steel Import Monitoring System (SIMS) Registration for additional HS codes covered under SIMS Registration vide Notification No. 33/2015-20-reg.

F. No. 01/89/180/MONI-5852/AM-03/PC-2(A)/PART-I/E-18229.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby specifies the date of implementation of SIMS registration for import of HS codes under Chapter 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy) other than HS codes covered under Notification No.17/2015-2020 dated 05.09.2019.

2. The implementation date for registration under Steel Import Monitoring System (SIMS) for import under HS codes (other than those already covered under SIMS Registration vide Notification No. 17/2015-2020 dated 05.09.2019) of Chapters 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017, Schedule-I (Import Policy) as notified vide Notification No. 33/2015-20 dated 28.09.2020 shall be 16th October 2020 i.e. Bill of Entry on or after 16.10.2020 shall require compulsory registration under SIMS.

3. The Steel Import Monitoring System (SIMS) shall require importers to submit advance information in an online system and obtain an automatic registration number by paying registration fee of Rs 1 per thousand subject to minimum of Rs 500/- and maximum of Rs 1 lakh on CIF value. The importer can apply for registration not earlier than 60th day and not later than 15th day before the expected date of arrival of import consignment. The automatic registration number thus granted shall remain valid for a period of 75 days. Importer shall have to enter the Registration Number and Expiry date of Registration in the Bill of Entry to enable Customs for clearance of the consignment.

4. **Effect of this Public Notice:** Implementation date for additional HS codes covered under registration under Steel Import Monitoring System (SIMS) vide Notification No. 33/2015-20 dated 28.09.2020 shall be 16th October 2020 i.e. Bill of Entry on or after 16.10.2020 shall require compulsory registration under SIMS.

AMIT YADAV, Director Genl. of Foreign Trade
& Ex-officio Secy.